न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 12/2023

दायर दिनांकः 10/04/2023

उनवान

1. रामचन्द्र आयु 63 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मेघवाल
2. मथुरालाल आयु 73 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मेघवाल
3. अनोखा बाई आयु 75 वर्ष पुत्री हीरालाल जाति मेघवाल
4. कंचन बाई आयु 61 वर्ष पुत्री हीरालाल जाति मेघनाल.
5. बद्री बाई आयु 59 वर्ष पुत्री हीरालाल जाति मेघवाल
6. सुशीला बाई आयु 74 वर्ष पुत्री हीरालाल जाति मेघवाल निवासीगण निमोदा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 21/11/2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल निमोदा पटवार हल्का भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 64 का ख.नं. 261 का रकबा 1.62 हे० आराजी प्रार्थीगण के एवं प्रार्थीगण की मां हीरा बाई के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम हरिराम व जाति चमार [illegible] कर दिया है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम हीरालाल व जाति मेघवाल है। प्रार्थीगण [illegible] दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत भैंसड़ा के प्रमाण पत्र में एवं ग्राम निमोदा की आराजी खाता संख्या 10 में प्रार्थीगण के पिता का नाम हीरालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:24:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

एवं जाति मेघवाल सही दर्ज है। प्रार्थीगण की मां हीरा बाई का स्वर्गवास दिनांक 05/04/2011 को हो चुका है। इसलिए उसे पक्षकार नही बनाया गया है तथा हीरा बाई के वारिसान के नाम खाते में दर्ज है। हीरा बाई का भी नाम खाते में दर्ज है तथा उसमें पति का नाम हरिराम गलत दर्ज हो रहा है इसलिए हरिराम के स्थान पर हीरालाल दर्ज किया जावे। प्रार्थिया क्रम 6 सुशीला बाई का भी नाम उक्त वर्णित आराजी में मथुरी बाई गलत दर्ज हो रहा है। जबकि सुशीला बाई के दस्तावेजों में सही नाम सुशीला बाई दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में मथुरी बाई के स्थान पर सही नाम सुशीला बाई दर्ज किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम हरिराम के स्थान पर सही नाम हीरालाल तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल तथा प्रार्थिया क्रम 6 का नाम मथुरी बाई के स्थान पर सही नाम सुशीला बाई एवं प्रार्थीगण की मां हीरा बाई के पति का नाम हरिराम के स्थान पर सही नाम हीरालाल दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम हीरालाल एवं जाति मेघवाल एवं मथुरी बाई के स्थान पर सुशीला बाई एवं हीरा बाई के पति का नाम हीरालाल सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम हरिराम के स्थान पर सही नाम हीरालाल एवं जाति चमार के स्थान पर मेघवाल तथा प्रार्थिया क्रम 6 का नाम मथुरी बाई के स्थान पर सही नाम सुशीला बाई एवं हीरा बाई के पति का नाम हरिराम के स्थान पर सही नाम हीरालाल दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम हरिराम के स्थान पर सही नाम हीरालाल एवं जाति चमार के स्थान पर मेघवाल तथा प्रार्थिया क्रम 6 का नाम मथुरी बाई के स्थान पर सही नाम सुशीला बाई एवं हीरा बाई के पति का नाम हरिराम के स्थान पर सही नाम हीरालाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रकरण बाबत के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:24:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3511 दिनांक 20.11.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल निमोदा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 64, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल निमोदा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 10, मृत्यु प्रमाण पत्र हिरा बाई, आधार कार्ड रामचन्द्र, आधार कार्ड मथुरालाल, राशन कार्ड मथुरालाल, मतदाता पहचान पत्र मथुरालाल, जन आधार कार्ड प्रेम बाई, राशन कार्ड रामचन्द, आधार कार्ड कंचन बाई, आधार कार्ड सुशीला देवी, आधार कार्ड बद्री बाई, आधार कार्ड अनोख बाई व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल निमोदा पटवार हल्का भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 64 का ख.नं. 261 का रकबा 1.62 हे० में सहखातेदारान अनोख बाई, कंचन बाई, बद्रीबाई, मथुरालाल, रामचन्द्र के पिता का नाम हरिराम के स्थान पर सही नाम हीरालाल तथा हीराबाई पत्नी स्व. हरिराम के स्थान पर सही नाम हीराबाई पत्नी स्व. हीरालाल तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा मथुरीबाई पुत्री हरिराम के स्थान पर सुशीला बाई पुत्री हीरालाल किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र को न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल निमोदा पटवार हल्का भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 64 का ख.नं. 261 का रकबा 1.62 हे० में सहखातेदारान अनोख बाई, कंचन बाई, बद्रीबाई, मथुरालाल, रामचन्द्र के पिता का नाम हरिराम के स्थान पर सही नाम हीरालाल तथा हीराबाई पत्नी स्व. हरिराम के स्थान पर सही नाम हीराबाई पत्नी स्व. हीरालाल तथा जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:24:05 IST
Reason: SelfAttested

अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-11-24

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:24:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner